"बिजनेस पोस्ट-के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 जुलाई 2009—श्रावण 7, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-44/18/2008.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट नगर पंचायत के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक (1)	जिला (2)	नगर पंचायत का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	दोरनापाल	15

Raipur, the 28th July 2009

NOTIFICATION

No. F 01-44/18/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and in supersession of all previous notification issued on the subject the State Government in respect of the Nagar Panchayat specified in column (3) of the schedule below, hereby determines the number of wards as specified in the corresponding column (4) of the said schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No.	District	Name of the Nagar Panchayat	No. of Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	South Bastar (Dantewada)	Dornapal	15.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.